

मध्य प्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
संशोधन पत्र

क्रमांक एफ 5-1(1-1क)/2021/29-1

दिनांक : 12 / 01 / 2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश।

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के बिन्दु क्रमांक 3.पंजीयन की अवधि- " किसान पंजीयन दिनांक 25.01.2021 से 25.02.2021 तक किया जाएगा। " के स्थान पर -" किसान पंजीयन दिनांक 25.01.2021 से 20.02.2021 तक किया जाएगा। " पत्र में संलग्न परिशिष्ट- अ अनुसार पढ़ा जावे।

(उमाकांत पाण्डेय)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्रमांक एफ 5-1(1-1क)/2021/29-1

दिनांक : 12 / 01 / 2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
- 3- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
- 4- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
- 5- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
- 6- आयुक्त मंडी बोर्ड, भोपाल।
- 7- आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
- 8- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
- 9- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल।
- 10- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल।
- 11- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) भोपाल।
- 12- समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
- 13- राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी भोपाल।
- 14- श्री अब्राहम वर्गीस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी, भोपाल।
- 15- समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी मध्यप्रदेश।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग